बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 5753143 / पटना, दिनांक 12.06.26
ग्रा0वि0-6-बजट/05-04/2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-42 के अंतर्गत जीविका सम्पोषित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के मानदेय को दोगुना किये जाने के अंतर्गत मूल उपबंधित राशि रू0 73500.00 लाख (सात अरब पैंतीस करोड़) में से बजट उपबंधित राशि का 33 प्रतिशत अर्थात राशि रू0 24255.00 लाख (दो अरब बयालीस करोड़ पचपन लाख) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।**

आदेश :- स्वीकृत ।

2. विभागीय संकल्प सं0-4254340 दिनांक-25.06.2025 द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) सम्पोषित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के मानदेय को दोगुना किया जाने एवं इस हेतु अतिरिक्त व्यय भार प्रति वर्ष राशि रू0 735.00 करोड़ (सात सौ पैंतीस करोड) को राज्य योजना पर भारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । उक्त संकल्प में निर्धारित शर्तों के आलोक में सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के मानदेय को 01 जुलाई,2025 से दोगुना किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. मांग संख्या-42 के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीविका सम्पोषित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के मानदेय को दोगुना किये जाने के अंतर्गत राशि रू0 73500.00 लाख (सात अरब पैंतीस करोड़) का मूल बजट उपबंध है। वित्त विभाग के पत्रांक-380 दिनांक-20.04.2026 द्वारा वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित चौमाही प्रतिशत बंधेज की शर्तो को राज्य स्कीम (01 एवं 05 से शुरू होने वाले उपशीर्ष) में 33 प्रतिशत तक शिथिल किया गया है।

4. उक्त के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) सम्पोषित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए राशि रू0 24255.00 लाख (दो

अरब बयालीस करोड़ पचपन लाख) की निम्नवत् विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद एवं विपत्र कोड़ (विषय शीर्ष सहित)	मूल बजट उपबंधित राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि
1	2	3	5
1	मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02 समाज कल्याण लघुशीर्ष-103-महिला कल्याण, उप शीर्ष-0004-महिला सशक्तिकरण, विषय शीर्ष-3104-सहायक अनुदान- वेतन, विपत्र कोड 42-2235021030004 (3104)	73500.00 लाख	24255.00 लाख
	कुल-	**73500.00 लाख** (सात अरब पैंतीस करोड़)	**24255.00 लाख** (दो अरब बयालीस करोड़ पचपन लाख)

5. वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) सम्पोषित सामुदायिक संगठनों के सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के अतिरिक्त मानदेय भुगतान हेतु कुल स्वीकृत राशि रू0 24255.00 लाख (दो अरब बयालीस करोड़ पचपन लाख) की निकासी विभागीय मांग संख्या-42 अंतर्गत उपरोक्त सारणी के कॉलम-2 में अंकित बजट शीर्षो के अंतर्गत पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर की जायेगी।

6. (i) स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होगें तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

(ii) अवर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर जीविका के पत्रांक-BRLPS/Accts/425/16/Vol.-V/2717 दिनांक-06.10.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाता Bihar Rural Livelihoods Promotion Society-Additional Honorarium Account, ICICI Bank, खाता सं0-625901146711, IFSC Code-ICIC0006259, Shahi Bhawan, Exhibition Road, Patna-800001 में जमा कर देंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति-सह-राज्य मिशन निदेशक, विद्युत भवन, पटना राशि की निकासी कर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना एवं इस विभाग को उपलब्ध कराऐंगे।

7. आवंटित राशि का वैधानिक अंकेक्षण एवं महालेखाकार अंकेक्षण ससमय महालेखाकार, बिहार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

8. वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में राशि व्यय की जायेगी ।

10. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-04/2026 के टिप्पणी पृष्ठ सं0--03---/टि0 पर दिनांक-10/06/2026------- को प्राप्त है ।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं देय सहायक अनुदान विमुक्ति के संबंध में माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0- ग्रा0वि0-6-बजट/05-04/2026 के टिप्पणी पृष्ठ सं0---09--/टि0 पर दिनांक----11/06/2026 को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

12/6/26

(रवि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5753143 पटना, दिनांक 12.06.26

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5753143 पटना, दिनांक 12.06.26

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS–सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /लेखा शाखा/ विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10)/सांख्यिकी प्रकोष्ठ/ आई0टी0मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक ____________ पटना, दिनांक ____________

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव